

THECOREIAS

NEWSPAPER SUMMERY 30 October

1. अगले साल जनवरी में अयोध्या मामले पर सुनवाई की तारीख तय करेगा सुप्रीम कोर्ट



उचित पीठ तय करेगी कब होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी वह केवल अयोध्या मामले में सुनवाई की तारीख तय करने के लिए मुकदमे को जनवरी के पहले सप्ताह में लगाने का आदेश दे रहा है।

जब एक वकील ने सुनवाई के लिए निश्चित तिथि दिए जाने की गुहार लगाई तो पीठ ने कहा कि उसकी भी प्राथमिकताएं हैं।

मामले पर जनवरी, फरवरी, मार्च अथवा अप्रैल में कब सुनवाई होगी, इसके बारे में उचित पीठ ही निर्णय लेगी। अभी से कोर्ट इस बारे में कुछ नहीं बता सकता।



6 न्यायपालिका में सरकार की पूरी आस्था है और हम इसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन यह भी सही है कि बहुत बड़ी संख्या में देश के लोग चाहते हैं कि सुनवाई जल्दी हो।
-रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्री



6 चुनावों के पहले भाजपा राम मंदिर मुद्दे पर धुंकीकरण की कोशिश करती है। कांग्रेस का नजरिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हर किसी को फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए।
-पी. चिदंबरम, कांग्रेस नेता



6 यह कोर्ट का निर्णय है और इसे हम सबको मानना पड़ेगा। अध्यादेश के नाम पर इसे डरा रहे हैं। अध्यादेश लाएंगे तो फिर फटकार पड़ेगी। इस मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम नहीं बनाया जाना चाहिए।
-ए. ओवैसी, एआइएमआइएम अध्यक्ष

➤ **Mains: Paper II (Judiciary)**

2. 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानेपेट्रोल वाहनों पर तत्काल रोक

- दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को भयानक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे वाहनों की सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और एनसीआर के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाली जाए और आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाए।
- न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ये आदेश दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने के न्यायमित्र वकील अपराजिता सिंह के सुझाव स्वीकार करते हुए दिए। कोर्ट ने उनके सुझाव को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश देते हुए यह भी कहा कि ऐसे वाहन मालिकों की सुविधा और जानकारी के लिए स्थानीय अखबार में विज्ञापन दिया जाए।
- कोर्ट ने नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) के सात अप्रैल, 2015 के आदेश का अनुपालन करते हुए एनसीआर के परिवहन विभाग को 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने की तत्काल घोषणा करने का आदेश दिया है।
- एनजीटी के 2015 के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही याचिका खारिज कर चुका है। न्यायमित्र का कहना था कि एनजीटी का वह आदेश अंतिम हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं हुआ है।

Use: Paper II (Judicial Activism), Paper III (Ecology)

3. 32 समझौतों के साथ जापान से दोस्ती और पक्की

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबी की अगुआई में टोक्यो में संपन्न 13वीं भारत-जापान ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई दी है।

कुछ अहम समझौते

- जापान व भारत की नौ सेनाओं के बीच सहयोग
- तीसरे देशों में परियोजनाएं स्थापित करना
- खाद्य प्रसंस्करण में जापानी निवेश को बढ़ावा देना
- भारत में मत्स्य पालन संबंधी ढांचागत सुविधा विकसित करना
- महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में अलग से कृषि सहयोग का समझौता
- रोबोटिक्स निर्माण व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग
- भारत में खेल सुविधाओं के विकास में जापान देगा मदद
- एसबीआई और हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड के बीच समझौता
- भारत की योग व आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जापान में बढ़ावा दिया जाएगा

- दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 32 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
- दोनों राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में अर्थजगत से लेकर विज्ञान और कृषि से लेकर ऊर्जा तक के क्षेत्रों में हुए इन समझौतों से रिश्तों की मजबूती की झलक दिखी।
- **Joint Statement:** संयुक्त बयान में भी दोनों देशों ने कदम मिलाकर चलने की प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त बयान इस बात का प्रमाण है कि बदलते वैश्विक माहौल में क्यों दोनों देश एक-दूसरे के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। संयुक्त बयान में Indian व प्रशांत महासागर क्षेत्र में दोनों देशों ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए जिस तरह के दूरगामी उपायों का एलान किया गया है वह एक-दूसरे पर बढ़ते भरोसे का भी संकेत है।
- सामरिक समझ बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच विदेश व रक्षा मंत्रियों के स्तर पर सालाना टू प्लस टू वार्ता की सहमति भी बनी है। इस तरह की वार्ता भारत और अमेरिका के बीच भी होती है।

Indian Ocean & प्रशांत क्षेत्र बना भारत व जापान के संबंधों की धुरी:

- संयुक्त बयान में हिन्द-प्रशांत को सभी देशों के लिए समान अवसर वाले क्षेत्र के तौर पर चिह्नित किया गया है। द्विपक्षीय रिश्तों को इसके लिए तैयार करने के साथ ही समूचे आसियान क्षेत्र को भी जोड़ने की बात कही गई है।
- दोनों देशों ने पहली बार अमेरिका का नाम लेकर कहा कि समान विचार वाले साझेदारों को भी इस उद्देश्य के लिए अपने साथ जोड़ा जाएगा।
- चीन की कनेक्टिविटी परियोजना बीआरआई का जिक्र किए बिना दोनों देशों ने कहा कि वे आसियान क्षेत्र से अफ्रीकी महादेश तक साथ मिलकर ढांचागत परियोजनाएं स्थापित करेंगे। इन परियोजनाओं में साझा हितों का ध्यान रखा जाएगा। संयुक्त बयान में श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ, जहां भारत व जापान संयुक्त तौर पर बुनियादी क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं लगाएंगे।
- **NSG:** एनएसजी में भारत की सदस्यता को समर्थन : जापान ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता को अपना समर्थन दिया है। जापान ने इस दिशा में मिलकर प्रयास की बात कही है। दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर परमाणु अप्रसार के प्रयासों को मजबूत करने की बात भी कही है। वार्ता में संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की जरूरत पर भी बल दिया गया।

Use: Paper II (India Japan Relation)

4. भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन का लोकार्पण

- सौ करोड़ की लागत से पूरी तरह भारत में विकसित, ऊर्जा बचाने वाली व बिना इंजन की ट्रेन का लोकार्पण
- लोहानी के हरी झंडी दिखाने के बाद सफेद रंग की यह ट्रेन इंटिग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में कुछ दूर तक चली।
- 'ट्रेन-18' नामक यह रेलगाड़ी भारतीय रेलवे के लिए गेमचेंजर साबित होगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली यह रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का विकल्प बनेगी।

Use: Paper III (Infrastructure)

5. पीसीए बना सरकार-आरबीआई में विवाद की वजह

- वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद को देखते हुए अधिकारियों का कहना है कि सरकार नाखुश है क्योंकि नियामक ने त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) और गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के नियमों को अंतिम रूप देने से पहले उसके साथ परामर्श नहीं किया। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरबीआई ने पीसीए और एनपीए मसले पर अपनी बोर्ड बैठक में भी चर्चा नहीं की।
- पीसीए के संशोधित नियमों को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच विवाद है। सरकार चाहती है कि पीसीए नियमों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किए गए बेसल नियमन के अनुरूप बनाया जाए। हालांकि आरबीआई का मानना है कि पीसीए को लागू करने से बैंकों के जोखिम को कम करने में मदद मिली है और इस समय नियमों में ढील से बचना चाहिए।

Mains: Paper II (Regulatory Bodies)

Prelims: Prompt Corrective Action

6. हिचकोले खा रही चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क

- चीन न केवल भारतीय सीमा तक रेल ट्रैक पहुंचा चुका है, बल्कि अपने सीमा क्षेत्र में जोर-शोर से अन्य सुविधाएं भी विकसित कर रहा है, जो सीधे-सीधे सामरिक तैयारियों से भी जुड़ी हुई हैं।
- वहीं, भारत में हालात इसके ठीक उलट हैं। सामरिक सजगता की स्थिति का आलम यह है कि चमोली, उत्तराखंड से होते हुए भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क गड्डों के बीच कहीं खो चुकी है। इसका हाल कच्ची सड़कों से भी बदतर है।

Mains: Paper III (Internal Security)

7. झारखंड में सूचना तो मिली नहीं आ गया 57 हजार का हिसाब

- झारखंड सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, मगर लातेहार के अधिकारी आरटीआई के तहत सूचना देने से भी परहेज कर रहे हैं।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी से दो वर्षों में सरकार से प्राप्त राशि और खर्च का हिसाब मांगा गया तो उन्होंने एक माह के निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना तो नहीं दी, मगर दस्तावेज के एवज में 57 हजार रुपये की मांग कर दी। कहा कि ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा करने के बाद ही सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उनसे सूचना 16 अगस्त को मांगी गई थी, जिसके जवाब में यह पत्र 24 सितंबर की तिथि में भेजा गया है।

Mains: Paper II & IV (RTI)

8. जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा चीन-फ्रांस का सेटेलाइट

- जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखने के लिए चीन और फ्रांस का संयुक्त रूप से तैयार किया गया सेटेलाइट सोमवार को प्रक्षेपित किया गया।
- यह पहला ऐसा उपग्रह है, जिसे चीन ने किसी दूसरे देश की साझेदारी से तैयार किया है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सेटेलाइट की मदद से चक्रवाती तूफानों का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने के साथ जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखने में मदद मिल सकेगी। इस साझा मिशन के तहत चीन और फ्रांस के वैज्ञानिक इस उपग्रह से प्राप्त सर्वेक्षण डाटा को साझा करेंगे और इन्हें दूसरे देशों के वैज्ञानिकों और मौसम का पूर्वानुमान लगाने वालों को प्रदान करेंगे।
- इससे समुद्र पर चलने वाले जहाजों की सुरक्षा, समुद्रीय आपदा की रोकथाम तथा समुद्रीय संसाधन की जांच पड़ताल में मदद मिलेगी।
- **लांग मार्च 2सी कैरियर** रॉकेट के जरिये सेटेलाइट को पश्चिमोत्तर चीन के गोबी मरूस्थल से लांच किया गया।

Prelims (लांग मार्च 2सी)

9. भारत, कतर करेंगे संयुक्त आयोग का गठन

- भारत और कतर ने अपने रिश्तों को मजबूती देने और सभी द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों की नियमित समीक्षा के लिए सोमवार को एक संयुक्त आयोग के गठन का फैसला किया।

Mains: Paper II (IR)

EDITORIALS

1. ई-कचरे से जूझता भारत

What is e waste?

ई-कचरे के अंतर्गत वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

- देश के ज्यादातर शहरी घरों में एक दो बेकार मोबाइल फोन या लैपटॉप की खराब बैटरी जरूर मिल जाएगी। ये चीजें घर में इसलिए पड़ी रहती हैं, क्योंकि उनका किया क्या जाए यह उनके मालिकों को पता ही नहीं है।
- विकसित देशों में ई कचरे को संगठित रूप से एकत्रित करने के लिए जगह-जगह संबंधित डस्टबिन लगाए जाते हैं। भारत में यह व्यवस्था चुनिंदा शहरों के कुछ इलाकों को छोड़कर कहीं भी नहीं है।

Some facts:

- एक अमेरिकी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट '**द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2017**' के मुताबिक भारत में साल 2016 में 1,975 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ था। इसके अतिरिक्त भारत में विकसित देशों से भी ई-कचरे का आयात किया जाता है।
- राज्यसभा सचिवालय द्वारा 'ई-वेस्ट इन इंडिया' नाम से प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार भारत में पैदा होने वाले कुल ई-कचरे का लगभग 70 प्रतिशत केवल 10 राज्यों से आता है और कुल 65 शहर देश का 60 प्रतिशत ई-कचरा पैदा करते हैं।
- भारत में ई-कचरे के उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्य तथा मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर अव्वल हैं।
- एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 90 प्रतिशत ई-कचरे का निस्तारण असंगठित क्षेत्र के अप्रशिक्षित कामगारों द्वारा किया जाता है।

Processing of e waste

- इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस कार्य के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों से अनभिज्ञ हैं।
- इस वक्त देश में लगभग 16 कंपनियां ई-कचरे की रीसाइकलिंग के काम में लगी हैं। इनकी कुल क्षमता साल में 66,000 टन ई-कचरे को निस्तारित करने की है, जो देश में पैदा होने वाले कुल ई-कचरे के 10 फीसद से कम है।
- पिछले कुछ वर्षों में ई-कचरे की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है और प्रतिवर्ष दो से पांच करोड़ टन ई-कचरा दुनिया भर में फेंका जा रहा है।
- ग्रीनपीस संस्था के अनुसार ई-कचरा विश्व भर में उत्पन्न होने वाले कुल ठोस कचरे का पांच प्रतिशत है।
- साथ ही विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे में सबसे तेज वृद्धि दर ई-कचरे में ही देखी जा रही है। ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग अब अपने स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर जैसे अनेक गैजेट्स को ज्यादा तेजी से बदलने लगे हैं। कभी-कभी तो एक ही साल में दो-दो बार।
- एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने ई-कचरे के केवल पांच प्रतिशत की ही रीसाइकलिंग कर पाता है

Bleak scenario in future

Future भविष्य में ई-कचरे की समस्या कितनी विकराल होने वाली है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में विकसित देशों में कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों की औसत आयु घट कर मात्र दो साल रह गई है। घटते दामों और बढ़ती क्रय शक्ति के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि की संख्या और इन्हें बदलने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

Graphic: Kannan Sundar

INDIA EMERGES AS A HUB FOR E-WASTE

Growth of information and communication technology has enhanced usage of electronics exponentially. Faster obsolescence and upgradation are forcing consumers to discard old products. **Demand for e-waste began to grow when scrapyards found they could extract valuable substances such as copper, iron & gold**

RECYCLING CHAIN

The following responsibilities were formulated under E-waste (Management and Handling) Rules, 2011, for various categories



PRODUCERS: To set up collection centres or take back electronic items either individually or collectively and provide contact details of the centres to consumers

COLLECTION CENTRES: To be registered with the State Pollution Control Board and ensure no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste

CONSUMERS (INDIVIDUAL AND BULK): To channelise waste generated to authorized collection centre/registered dismantler/recycler

DISMANTLERS: To ensure dismantling process does not harm the environment

RECYCLERS: Ensure residue generated is disposed in a hazardous waste treatment disposal facility

**OVERFLOWING****Problem**

- घरेलू ई-कचरे में, जैसे बेकार टीवी और रेफ्रिजरेटर में लगभग एक हजार विषैले पदार्थ होते हैं जो मिट्टी और भू-जल को प्रदूषित करते हैं। इन पदार्थों के संपर्क में आने पर सिरदर्द, उल्टी, मितली और आंखों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
- ई-कचरे की रीसाइकलिंग और निपटान का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।
- इस ई-कचरे से होने वाले नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 38 अलग-अलग प्रकार के रासायनिक तत्व शामिल होते हैं, जो काफी हानिकारक होते हैं। जैसे टीवी व पुराने कंप्यूटर मॉनिटर में लगी सीआरटी (कैथोड रे ट्यूब) को रिसाइकल करना मुश्किल होता है।
- इस कचरे में लोड, मरकरी, कैडमियम जैसे घातक तत्व भी होते हैं। इसका निपटान आसान नहीं है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक और कई तरह की धातुओं से लेकर अन्य पदार्थ रहते हैं। इसे जलाकर इसमें से आवश्यक धातु निकाली जाती है। इसे जलाने से जहरीला धुँआं निकलता है।
- आवश्यक जानकारी और सुविधाओं के अभाव में ई-कचरे के निस्तारण में लगे लोग न केवल अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्रियों में ज्यादातर कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। इनमें से काफी चीजें तो रिसाइकल करने वाली कंपनियां ले जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें नगर निगम के कचरे में चली जाती हैं। वे हवा, मिट्टी और भूमिगत जल में मिलकर जहर का काम करती हैं।
- कैडमियम से फेफड़े प्रभावित होते हैं, जबकि कैडमियम के धुँएँ और धूल के कारण फेफड़े व किडनी दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एक कंप्यूटर में प्रायः 378 पौंड सीसा, फासफोरस, कैडमियम व मरकरी जैसे घातक तत्व होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं।

Effort by Govt

- भारत सरकार ने ई-कचरे के प्रबंधन के लिए विस्तृत नियम बनाए हैं जो एक मई 2012 से प्रभाव में आ गए हैं। ई-कचरा (प्रबंधन व संचालन नियम) 2011 के इसकी रीसाइकलिंग और निपटान को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इन दिशा-निर्देशों का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है, यह कह पाना कठिन है।

What to be done?

जब तक ई-कचरे का प्रबंधन उत्पादक, उपभोक्ता और सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान होना मुश्किल है। यह उत्पादक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह कम से कम हानिकारक पदार्थों का प्रयोग करे और ई-कचरे के निस्तारण का उचित प्रबंधन करे। उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह ई-कचरे को इधर-उधर न फेक कर उसे रीसाइकलिंग के लिए उचित संस्था को दे, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ई-कचरे के प्रबंधन के ठोस तथा व्यावहारिक नियम बनाए और उनका पालन सुनिश्चित करे।

2. भारत-भूटान संबंधों पर संशय ठीक नहीं

राजशाही की समाप्ति के बाद भूटान में तीसरी दफा संसदीय चुनाव हुए हैं। चुनाव में भूटान की जनता ने एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन का इतिहास दोहराया है। इससे पहले वर्ष 2013 के संसदीय चुनाव में सरकार विरोधी लहर के चलते सत्तारूढ़ दल को हार का सामना करना पड़ा था।

ताजा चुनावों में भी भूटान की जनता ने भारत समर्थक शेरिंग तोबो की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक (पीडीपी) को सत्ता से बाहर करके महज पांच साल पहले बनी ट्रक नयामरूप थोगपा (डीएनटी) को देश की बागडोर सौंपी है। पार्टी ने नेशनल असेंबली की 47 सीटों में से 32 पर जीत हासिल की है। पार्टी के अध्यक्ष डॉ. लोट्य शेरिंग को भूटान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।

Interest of India & China in Bhutan Election

भूटान के संसदीय चुनाव विकास के लिहाज से न केवल स्वयं भूटान के लिए, बल्कि भारत और चीन के लिए भी अहम होते हैं। इसी कारण दोनों देश भूटान की चुनाव प्रक्रिया और उसके परिणामों पर निगाह बनाए हुए थे। चुनाव के आरंभिक दौर से ही दोनों देशों ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। मतदान से कुछ दिन पहले चीन के उप विदेशमंत्री कॉन्ग शुआं यू द्वारा की गई भूटान यात्र को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

भारत में चीन के राजदूत लुओ शाओहुई भी चुनाव के दौरान भूटान गए थे। दोनों ही नेताओं ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबो सहित उन सभी नेताओं से मुलाकात की जो भविष्य की सरकार के गठन में किसी तरह की भूमिका निभा सकते हैं। भूटान में चीन की दिलचस्पी देखते हुए भारत ने चीनी नेताओं की यात्राओं को काउंटर करने के लिए नेशनल असेंबली के गठन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्र की बात कही है।

करीब आठ लाख की आबादी वाला भूटान भारत और चीन के बीच में स्थित होने के कारण दोनों ही देशों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है।

India Bhutan Relation Historic Aspect

- भारत एवं भूटान के आपसी संबंध गहरे विश्वास और आपसी समझ पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में निरंतर वृद्धि हुई है।
- वर्ष 1949 में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मैत्री संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भूटान अपनी विदेश नीति से संबंधित हर मामले की सूचना भारत को देगा।
- हालांकि 2007 में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक की भारत यात्र के दौरान इसमें कुछ संशोधन किए गए। संशोधन के बाद भूटान केवल उन्हीं मामलों की सूचना भारत को देगा जिनका जब्ड़ाव सीधे तौर पर भारत के साथ होगा। भारत और भूटान के बीच की यह संधि चीन को नहीं सव्हा रही है।
- भारत 1961 से ही भूटान को उसकी पंचवर्षीय योजनाओं में सहायता करता रहा है। भूटान में बिजली उत्पादन, सड़क निर्माण व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास में भी भारत मदद करता है।
- भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक वर्ष 2013 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से भारत आए थे। इस यात्र के दौरान भारत ने भूटान को नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की सहायता दिए जाने की घोषणा की।
- हाल ही में भारत ने वर्ष 2020 तक भूटान में 10,000 मेगावॉट बिजली उत्पन्न करने का संकल्प दोहराया है।
- भारत-भूटान राजनयिक संबंधों को 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर दोनों देशों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- भूटान-भारत दोस्ती के प्रतीक के रूप में एक स्मारक स्तूप बनाने की भी योजना है।

Bhutan Political turnout

वर्ष 2008 में तत्कालीन नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक ने भूटान में लोकतंत्र का मॉडल जनता के सामने पेश कर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। वर्ष 2008 और 2013 में संसद के चुनाव हुए। संविधान के अनुसार चुनाव दो चरणों में होते हैं। प्रथम चरण में नागरिक दो राजनीतिक दलों का चयन करते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। प्रथम चरण में भूटान के चार बड़े दलों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया था जिसमें शेरिंग तोबो की सत्तारूढ़ पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक तीसरे स्थान पर रही, जबकि नवगठित द्रुक न्यामरूप थोगपा पहले स्थान पर। 2008 के पहले आम चुनाव को जीतने वाली द्रुक फियंजम चोगपा दूसरे स्थान पर रही है। यद्यपि भूटान ने अभी तक चीन के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं बनाए हैं। लेकिन दोनों देश आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन भूटान के साथ सीमा विवाद दूर करना चाहता है। वह चाहता है कि चीन-भूटान वार्ता में भारत शामिल नहीं हो जबकि भूटान का कहना है कि जो भी बात होगी वह भारत की मौजूदगी में होगी। देखा जाए तो विकट से विकट परिस्थितियों में भी भूटान भारत के साथ रहा है। भूटान ही भारत का एक मात्र ऐसा पड़ोसी देश है, जो अभी तक चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना में शामिल नहीं हुआ है।

हालांकि बीच की अवधि में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनी जिससे भारत-भूटान संबंध असहज हुए हैं। साल 2012 में रियो डी जेनेरियो में भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिग्मे थिनले की चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से मुलाकात के बाद एकबारगी लगने लगा कि भूटान का झुकाव चीन की ओर हो रहा है। इस दौरान भारत ने भी भूटान को दी जा रही गैस सब्सिडी रोक दी थी। हालांकि भारत ने बाद में साफ कर दिया था कि रणनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि तकनीकी कारणों के चलते सब्सिडी रोक दी गई है। इसके थोड़े ही समय बाद साल 2013 के आम चुनाव में विपक्षी दल पीडीपी ने सत्तारूढ़ डीपीटी की भारत विरोधी नीतियों को चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया। चुनाव में पीडीपी की जीत हुई। अपने पूर्ववर्ती जिग्मे थिनले की वैश्विक विदेश नीति से अलग प्रधानमंत्री चेरिंग चोबगाय ने भारत से अपने संबंधों को प्राथमिकता दी जिससे दोनों देशों के संबंध पुनः पटरी पर आ गए। चोबगाय के कार्यकाल के दौरान ही भारत-चीन के बीच भूटान के अधिकार क्षेत्र वाले डोकलाम पर चीन द्वारा अवैध निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ था। चूंकि भारत ने भूटान को सामरिक सुरक्षा की गारंटी दी हुई है इसलिए भारत को भी इसमें कूदना पड़ा। डोकलाम को लेकर चीन और भारत के बीच करीब ढाई माह तक तनातनी रही। भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि भूटान ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि अतिक्रमण चीन की ओर से हुआ है। ऐसे में भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोट्ये शेरिंग की नई सरकार भारत और चीन के साथ अपने रिश्तों में किस तरह से संतुलन बिठाती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकेगा।

3. अनियोजित विकास के बढ़ते दुष्परिणाम

Urbanisation

तेज शहरीकरण के दौर में इंसान उन बुनियादी तथ्यों को भूल गया है जो प्रकृति ने निर्धारित किए हैं। धरती इंसान की तरह अपनी आबादी को नहीं बढ़ा सकती, लेकिन इस वास्तविकता को इंसान नहीं समझना चाहता है। छोटे से लेकर बड़े शहरों में अनियोजित तरीके से टाउनशिप बनाए जा रहे हैं।

- जमीन पर मालिकाना हक जमाने की दीवानगी इस कदर इंसान पर हावी है कि वह लगातार शहर से सड़क या रेलमार्ग से जुड़े नजदीकी गांवों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करता जा रहा है।
- जिस जमीन पर कभी फसलों की पैदावार होती थी वहां आज मॉल्स बनाए जा रहे हैं।
- जिस खेत को किसान अन्नदाता मानते थे, उसे कॉरपोरेट्स या बिल्डर अपने कब्जे में कर चुके हैं या करने की तैयारी में हैं।
- शहर के नजदीकी गांवों और कस्बों में जो खेत लाख-दो लाख रुपये में बिक रहे थे उनकी कीमत आज करोड़ों में आंकी जा रही है।

Land acquisition and Farmer's at the Blackfoot

अमूमन सड़क एवं रेलमार्ग के निर्माण के लिए किसानों की खेती योग्य जमीन के अधिग्रहण की जरूरत होती है। विकास के नाम पर किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने का कार्य देश भर में बेरोकटोक जारी है। बीते सालों अधिग्रहण को लेकर सरकार के नुमाइंदों एवं किसानों के बीच खूनी संघर्ष के अनेक मामले देखने में आए थे। जाहिर है वर्तमान भूमि अधिग्रहण नीति के अपारदर्शी होने के कारण किसानों व सरकार के बीच संघर्ष हो रहे हैं। कॉरपोरेट्स या बिल्डर आम तौर पर अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस तरह की प्रस्तावित परियोजना का पता लगा लेते हैं और प्रस्तावित स्थल के आसपास की जमीन औने-पौने दाम में खरीद लेते हैं। सारा खेल मौखिक करारनामे के आधार पर होता है, जिसके एवज में अमूमन स्पीड मनी का लेन-देन किया जाता है। बाद में ऐसी सड़क व रेल लाइन के किनारे टाउनशिप विकसित की जाती है।

कंक्रीट के जंगल में हर वस्तु की मुंहमांगी कीमत चुकानी होती है। खाद्य पदार्थ एवं उपभोग के अन्य वस्तुओं की कीमत सामान्य तौर पर कस्बानुमा शहरों व गांवों से अधिक होती है। बढ़ते कंक्रीट के जंगल की वजह से भूजल स्तर के उपयोग में जबर्दस्त इजाफा हुआ है जिससे भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है।

नदी, तालाब, झील, पोखर, पर्ईन आदि को या तो मार दिया गया है या फिर उनकी हालत इस कदर खराब कर दी गई है कि वे वेंटीलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहे हैं। खेत-खलिहान को छोड़ दिया जाए तो भी पुराने शहरों में 10 से 15 फीट के सड़क किनारे अपार्टमेंट का जाल बिछाया जा रहा है, जबकि इसमें एक पूरा गांव बसता है। जब एक पूरा गांव 4,000 से 5,000

वर्ग फुट में बस जाएगा तो नाली व ट्रेफिक जनित समस्या उत्पन्न होगी ही। मल-मूत्र सड़कों पर बहेंगे ही। गंदगी की वजह से लोग बीमार पड़ेंगे और मरेंगे भी। कई जगह नालियों को ढक कर रोड बनाया जा रहा है। तात्कालिक रूप से जरूर इससे ट्रेफिक जाम से राहत मिलेगी, लेकिन नाली जब जाम होगा तो हालात बदतर हो जाएंगे। ऐसे शहरों में बड़ी इमारतों का जाल बिछ गया है। यहां दो एवं चार पहिया वाहनों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। पतली और संकरी सड़कों पर खोमचे, रेहड़ी व सब्जीवाले का होना स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। अगर सड़क पर किसी तरह का मरम्मत कार्य चल रहा हो तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। कई बार कार्यस्थल पर चेतावनी वाला बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं होता जिससे बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं।

मौजूदा समय में फुटपाथ समाप्त हो रहा है। यदि कहीं इसका निर्माण किया भी गया है तो अतिक्रमण से यह बदहाल है। पार्किंग की बात करना तो बेमानी है। यदि कहीं फुटपाथ को योजनानुसार विकसित भी किया जाता है तो वहां बेरिकेडिंग न होने से जान हमेशा सांसत में बनी रहती है। सड़कों पर बने बेतरतीब ब्रेकर हालात को बदतर बना देते हैं। व्यस्त मार्गों पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने से अक्सर दुर्घटना होती है। इसके होने पर भी कई बार ट्रेफिक नियमों की जानकारी के अभाव में लोग असमय ही दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। शहरों में आज न तो खेल के मैदान हैं, न ही बाग-बगीचे और न ही पार्क। कब्रिस्तान पर भी बिल्डरों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। उत्सव और शोक सभाओं में शामिल होने तक के लिए जगह नहीं बची है। शादी-ब्याह व शोक सभा सड़कों पर आयोजित की जा रही है। धरना-प्रदर्शन, वीआइपी के काफिले से ट्रेफिक व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। ऐसे जाम में कई बार मरीज को अस्पताल पहुंचाने में देरी होती है और वह राह में ही दम तोड़ देते हैं।

Shrinking Play grounds:

आज बच्चों के लिए घर के बाहर खेलना सपना हो गया है। वे शारीरिक खेल के बजाय बंद कमरे में खेलने को मजबूर हैं। कंप्यूटर और वीडियो गेम्स ही उनके साथी हैं। इस वजह से बच्चों में कई तरह की बीमारियां पनप रही हैं। सिनेमा और टीवी की वजह से नकल करने के क्रम में बच्चे हादसों के शिकार बन रहे हैं।

Big question to be asked from ourselves

क्या विकास की ऐसी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं? शहरीकरण का उद्देश्य है संसाधनों व सुविधाओं को समुचित तरीके से सभी को मुहैया कराना, लेकिन शहरों का विकास नियोजित तरीके से नहीं हो रहा है। शहरों के बेतरतीब विकास से लोगों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल का उठना लाजिमी है कि क्या ऐसे ही विकास की हमें जरूरत है

The Core IAS upcoming Batches

- **UPSC Mains Answer Writing Foundation Batch (19 November 8 Am)**
- **UPSC Mains Answer Writing Advance Batch (19 November: 5 PM)**
- **Current Affairs 2019 Prelims Batch (18 November 5 PM Orientation Class)**
- **Current Affairs 2019 Prelims Batch (18 November , 8 AM)**
- **Editorial Discussion Batch (17 November , 8 AM)**
- **Ecology & Environment Batch (26 November 10.30 AM)**
- **Mains Answer Writing Hindi**
- **UPPSC Mains Answer Writing Batch**